

फरु अहकाम  
 बनाव 115 कल्याणबाग

नाम न्यायालय  
 केस संख्या 114/2015

प्राप्त उपमानना

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
-------------	---------------------------	----------------------

21/05/18

शायना पत्र अवमानना, राजलव न्याय  
 आपके डार अभिमान के दौरान गुण  
 पंचायत जगवाठ चौराही में पेश  
 हुआ। प्रकरण दिनांक 06/10/2005 को  
 सर्वप्रथम दर्ज रजिस्टर हुआ, जो जाडिगद  
 तक साक्ष्य सापल में निपत चल  
 रहा है। साक्ष्य सापल बन्द किये  
 जाते हैं।  
 पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध उपलब्ध  
 विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन  
 एवं मनन किया गया। अप्रार्थीगत के  
 ख.नं. 1833 का विषय जरिए एग्रीमेंट  
 किया, जिसका पंजीपत्र दिनांक 05/08/05  
 को हुआ है। जैलामल का निवेदन  
 रहा कि पंजीपत्र के पूर्ण जैरसापल  
 को न्यायालय को देना ही जानकारी नहीं  
 रही है तथा जैरसापल के अविषय  
 में आदेश की पूर्ण पालना का वादा  
 किया है यह भी कि प्रकरण वर्ष  
 2005 के सम्बन्धित है, जो न्यायालय  
 में प्रकरणों की बहुलता का प्रमाण है।  
 अतः राज्य सरकार की सलाह अनुरूप  
 अनावश्यक सम्बन्धित वादों के निष्काशन  
 हेतु हस्तगत शायना पत्र इस आदेश  
 के साथ खारिज किया जाता है कि  
 अविषय में न्यायालय आदेश की अवहेलना  
 पर पुनः अवमानना पेश करे।  
 निम्नलिखित मामले सुनाया गया।





फर्द अहकाम

बनाम VLS कल्याण कौटई

11/4/2015

गुणपत्र उपमानवा

दिनांक आरंभ कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>शाद ही बहलीलदा विराटनगर के मह आदेश दिऐ जाते है कि तथासहित विरुद्ध पत्र धंजीपत्र की जांच करे यदि न्यायालय आदेश की अवहेलना हुई है, तो संबंधित दोषी कर्मचारी के विरुद्ध निपटारु का (कार्यवाही) प्रस्ताव करे।</p> <p>निर्णय मज्जे काम लुकादा जमा।</p>	



Handwritten signature and initials.

पीठासीन अधिकारी  
राजस्व लोक अदालत  
न्याय आपके द्वार-2018  
उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)

Handwritten marks at the bottom right corner.